रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 अक्तूबर, 1984/28 आश्विन, 1906

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 अक्तूबर, 1984

संख्या 16-15/75-जी० ए० डी० वोल्यूम-4.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 34 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 1984 बनाना चाहते हैं। जैसा कि उक्त उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित है प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप और सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, राज्य सरकार नियमों को अन्तिम रूप देने में उन पर विचार करेगी।

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को भेजे जा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 1984।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 1984 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये तुरन्त प्र त होंगे।

परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 है;
(ख) "सहायक आयुक्त" से नियम 3 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त अभिप्रेत है।
(ग) "अवक्षयण निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसके लिए टूट-फूट के अध्यधीन आदि के प्रत्यावर्तन हेतु व्यय को पूरा करने के लिए आयुक्त द्वारा अंशदानों का यथा अनुमादन कर दिया गया हो।
(घ) "आरक्षित निधि" से आकस्मिकताओं के लिए व्यवस्था हेतु अलग से रखी निधि आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित अभिप्रेत है;
(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और
(च) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं;

किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, के वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारी-वृन्द की सेवा की शर्तें.—आयुक्त की सहायता के लिए, सहायक आयुक्त या सहायक आयुक्तों की नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। लिपिकीय कर्मचारी-वृन्द उप-आयुक्तों के कार्यालयों में से लिये जायगे और लेखापरीक्षा कर्मचारी-वृन्द, ऐसी शर्तों पर जैसी राज्य सरकार अवधारित करे, वित्त विभाग (स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार से लिए जायेंगे।

4. धारा 6 के अधीन तैयार किए जाने वाले रजिस्टरों का प्रारूप और ढंग.—रजिस्टर प्रारूप "क" में रखे जायेंगे।

5. धारा (2) के अधीन सूचना.—धारा 6(2) के अधीन आयुक्त द्वारा जारी की जाने वाली सूचना प्ररूप "ख" में होगी।

6. अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की समीक्षा और सत्यापन.—अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के साथ:—

(क) न्यासी या उसके अधिकृत अभिकर्ता का इस आशय का शपथ पत्र होगा कि उसने उक्त दस्तावेज में उल्लिखित मदों को प्रत्यक्ष रूप से जांच और सत्यापन किया है; और

(ख) इस आशय का प्रमाण पत्र होगा कि अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित धारा 6 के अधीन तैयार किए गए रजिस्टर में उल्लिखत हक विलेख और स्थावर सम्पत्ति के दस्तावेज, मूर्तियों के रंगीन फोटोग्राफ और प्रतिमाएं प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों का विवरण, या कोई अन्य मूल्यवान मदें उसकी अभिरक्षा में हैं।

रजिस्टर में यथादर्शित अन्तर्वस्तुओं के और फेरफार की दशा में और प्रत्यक्ष सत्यापन के समय न्यासी या उसके अधिकृत अभिकर्ता, उसके द्वारा विधि के अधीन यथा अपेक्षित की गई कार्यवाही की आयुक्त को सूचना देगा। सत्यापन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होगा और 30 जून तक पूरा किया जायेगा। सत्यापन के दौरान न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नवीनतम अर्जन रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है।

7. स्थावर सम्पत्ति के नुकसान या अधिक्रमण की दशा में अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अपेक्षित कार्यवाही.—स्थावर सम्पत्ति के नुकसान या अधिक्रमण की दशा में न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता विधि अपेक्षित सभी आवश्यक कदम उठायेगा और मामले की आयुक्त रिपोर्ट देगा।

8. अधिनियम की धारा 12 के अधीन भूमि का अन्तरण करने के लिए आवेदन पत्र.—किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की या उसके प्रयोजनार्थ दी गई या विन्यास की गई किसी स्थावर सम्पत्ति के विनियम, विक्रय, बंधक या किसी भी अन्य रीति से अन्तरण के लिए या ऐसी सम्पत्ति को पट्टे पर दिए जाने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्ररूप-ग में होगा।

9. अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन आयुक्त के आदेश के प्रकाशन की रीति.—आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 12 (3) के अधीन जारी किए आदेश की प्रति सम्बद्ध न्यासी और प्रस्तावित संक्रांती को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जायेगी। उसका प्रकाशन निम्नलिखित रूप में भी किया जायेगा:—

(क) सूचना पट पर या सम्बद्ध धार्मिक संस्था के अगले दरवाजे पर आदेश की प्रति लगा कर,

(ख) उस गांव या नगर के जहां सम्पत्ति स्थित है, सहज दृश्य स्थान पर आदेश की प्रति लगा कर यदि वहां कोई पंचायत घर हो तो नियम की अपेक्षा पंचायत घर में आदेश की प्रति लगा कर पूरी की जायेगी, और

(ग) प्रश्नागत संपत्ति पर आदेश की प्रति लगा कर और जहां वह सम्पत्ति स्थित भूमि है वहां आदेश की घोषणा डौंडी पिटवा कर।

10. वह रीति जिसमें अधिनियम की धारा 14(2) के अधीन जांच का संचालन किया जायेगा.—वित्त आयुक्त न्यासी और प्रस्तावित संक्रांति को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। वह पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने का अवसर देगा और उनकी सुनवाई के पश्चात् आदेश करेगा। वित्त आयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। वित्त आयुक्त के प्रत्यक आदेश की प्रति राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

11. अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन अपील प्राधिकारी.—वित्त आयुक्त अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन अपील प्राधिकारी होगा।

12. वह रीति जिसमें अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन अपील की जायेगी.—आयुक्त के द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध वित्त आयुक्त को अपील अपीलार्थी या उसके अभिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जायेगी। ज्ञापन में, अपील किए गए आदेश के आक्षेपों के आधार संक्षिप्ततः और सुभिन्न शीर्षों में उपवर्णित किए जायेंगे और ऐसे आधार क्रम से संख्यांकित किए जायेंगे। वित्त आयुक्त को ऐसी अपील या तो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जायेगी या व्यक्तिगत रूप में या अभिवक्ता द्वारा पेश की जायेगी और उसके साथ,—

(क) अपील किए गए आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी, और

(ख) अपील के ज्ञापन की उतनी प्रतिलिपियां होंगी जितनी उन पक्षकारों को तामील किए जाने के लिए अपेक्षित हों जिनके अधिकार और हित ऐसी अपील में पारित किसी आदेश से प्रभावित होंगे।

13. अधिनियम की धारा 22 के अधीन तैयार किए जाने वाले बजट का प्ररूप.—बजट प्ररूप "घ" में तैयार किया जायेगा ।

14. अधिनियम की धारा 34(2) (ख) के अधीन आय और व्यय की विवरणी.—आय और व्यय की विवरणी न्यासी द्वारा प्रति तिमाही प्ररूप(ङ) में आयुक्त को फाईल की जायेगी।

15. अधिनियम की धारा 34(2)(1) के अधीन मन्दिर व इमारत की मुरम्मत.—ऐसे सभी मामलों जहां मन्दिर का भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है मुरम्मत, हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग के प से की जायेगी । किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के न्यासी और पुजारी का यह कर्तव्य होगा कि वह आयुक्त द्वारा अनुमोदित बजट में आबंटित रकम को भवन की मुरम्मत और नवीकरण पर और हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की सम्पत्ति और आस्तियों के परिरक्षण और संरक्षण पर खर्च करें।

16. अधिनियम की धारा 34(2) के अधीन मूर्तियों और प्रतिमाओं का परीक्षण और सुरक्षा.—किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के न्यासी या पुजारी का यह कर्तव्य होगा कि वह मन्दिर की मूर्तियां और प्रतिमाओं के परीक्षण और सुरक्षा के लिए आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित आवश्यक कदम उठाए।

आदेशानुसार,
पी0 के0 मट्टू,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

प्ररूप "क"

वित्त वर्ष की समाप्ति पर विशिष्टियां

(नियम--4)

भाग--क

संस्था का प्रारम्भ और इतिहास	भूतकाल और वर्तमान न्यासियों के नाम	न्यासी के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध म प्रथा और रूढ़ि, यदि कोई हो, की जानकारी के बारे विशिष्टियां	निम्नलिखित के बारे रिवाज तथा रूढ़ि— (1) संस्था का प्रबन्ध, (2) न्यासी/प्रबन्धक की पदावधि, (3) बारीदारों के निर्वाचन/चयन/नामनिर्देशन की बाबत शक्तियां और प्रक्रिया, (4) बारीदारों का अंश (शेयर)
1	2	3	4

टिप्पण:--(1) इस प्ररूप को भरते समय न्यासी सर्वदा ऐसे स्रोतों को निर्दिष्ट करेगा जहां से जानकारी प्राप्त की गई है।

(2) यह रजिस्टर छः भागों में होना चाहिए।

प्ररूप "क"

भाग—ख

पूर्ववर्ती दस वर्षों (प्रति वर्ष के हिसाब से) की कुल प्राक्कलित आय

1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84

भाग—ग

पिछले तीन वर्ष में (प्रति वर्ष के हिसाब से) पूजा और देवता की पूजा से सम्बन्ध अन्य धार्मिक कृत्यों पर व्यय	प्रति वर्ष के हिसाब से व्यय का मापमान शिक्षा संस्थाओं के अनुरक्षण की बाबत प्रति वर्ष के हिसाब से पिछले तीन वर्षों में आवर्ती व्यय (प्रत्येक संस्था के लिए जानकारी पृथक रूप में दी जायेगी)	चिकित्सा संस्थाओं की बाबत पिछले तीन वर्षों में वार्षिक व्यय (प्रत्येक संस्था के लिए जानकारी पृथक रूप में दी जायेगी)	विद्यार्थियों के परीक्षण पर हुआ वार्षिक व्यय पिछले तीन वर्षों का वार्षिक व्यय दिया जायेगा ।
1	2	3	4

पिछले तीन वर्षों में (प्रतिवर्ष के हिसाब से) धर्मशाला और सरायों पर हुआ व्यय (प्रत्येक धर्मशाला या सराय की बाबत व्यय पृथक रूप में दें	धर्मशाला, शिक्षा संस्थाओं से भिन्न भवनों के नवीकरण या मुरम्मत पर पिछले तीन वर्ष में प्रति वर्ष के हिसाब से हुआ व्यय	चलाई गई किसी अन्य संस्था या किए गए कार्यकलाप पर पिछले तीन वर्षों में (प्रति वर्ष के हिसाब से) हुआ आवर्ती व्यय ।
5	6	7

भाग—घ

कर्मचारियों के नाम और सेवा का स्वरूप

कर्मचारियों का उनके माता पिता के नाम सहित नाम और पदनाम	सेवा का स्वरूप (यह विनिर्दिष्ट किया जाए कि क्या नियोजन अंशकालिक या पूर्ण कालिक है या आनुवंशिक या अनुआनुवंशिक है)	वेतन	परिलब्धियां	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4	5

(भाग—ङ)

जंगम सम्पत्ति

(I) निधियां

हाथ का रोकड़	जमा बैंकों/डाकघरों/अन्य संस्थाओं में चालू/बचत लेखा		बैंकों/डाकघरों/अन्य/संस्थाओं में दीर्घ कालिक जमा			
	संस्था लेखा संख्या और प्रतिरूप	रकम	संस्था	लेखा संस्था और प्रतिरूप	जमा की अवधि	रकम

(II) अन्य जमा सम्पति

क्रम सं0	वस्तु	विवरण	मात्रा		अनुपात सहित संघटक तत्व	प्राक्कलित वर्तमान मूल्य
			संख्या	वजन		
1.	आभूषण					
2.	स्वर्ण					
3.	चांदी					
4.	रत्न, बहुमूल्य रत्न					
5.	पांज					
6.	वर्तन					
7.	अन्य जंगम सम्पति जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है ।					

भाग—च

खतौनी सं0

1. कृषि भूमि :

ग्राम/नगर का नाम जहां स्थावर सम्पत्ति स्थित है	खसरा संख्या	क्षेत्र	भू-राजस्व/ किराया	विक्रय विलेख या अन्य दस्तावेजों के अनुसार लगभग मूल्य	प्रत्येक सम्पत्ति से वार्षिक आय (न्यूनतम जमाबंदी प्रमाणपत्र विक्रय विलेख/दानविलेख की प्रति लगाएं
1	2	3	4	5	6

2. भवन और दुकानें :

भवन/दुकान की विशिष्टियां :

(1) अवस्थिति
(2) खसरा सं0
(3) भवन का विवरण
(4) भवन का नाम
(5) भवन का कुर्सी का क्षेत्र
(6) भवन का प्राक्कलित मूल्य . . . .
(7) भवन से वार्षिक आय

3. पूर्ण विशिष्टियों सहित कोई अन्य सम्पत्ति । . . . .

4. हक विलेख और दस्तावेजों का व्यौरा . . . .

भाग "छ"

मूर्ती का नाम	मूर्ती के संघटक तत्व	प्रतिमाओं या रंग चित्रों आदि का व्यौरा
1	2	3

पुरातन ऐतिहासिक अभिलेखों की, उनकी संक्षिप्त विषय वस्तु सहित, विशिष्टियां
4

टिप्पण:—मूर्ती और प्रतिमाओं के रंगीन फोटो चित्र ऐल्बम में रखे जाने चाहिए जो रजिस्टर का एक अंग होगा ।

प्ररूप "ख"

(नियम 5)

आयुक्त .... हिमाचल प्रदेश का कार्यालय।

संख्या .... तारीख. ....

अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सूचना

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 प्रवृत्त हो गया है।

और उक्त अधिनियम आपकी संस्था .... को लागू होता है,

और, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6 (1) के अधीन आप से नियम 4 में यथा विहित रजिस्टर तैयार करने और रखने की अपेक्षा है,

अत: अब हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6 (2) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यासी/न्यासी के प्राधिकृत अभिकर्ता श्री .... पुत्र .... को अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर को दो प्रतियों में इस सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने की सूचना देता हूं।

सेवा में;

....

....

....

आयुक्त,
(उसकी मुद्रा सहित)।

प्ररूप "ग"

(नियम-8)

अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण/पट्टे पर देने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के आवेदन पत्र का प्ररूप।

सेवा में,
आयुक्त .... मण्डल
हिमाचल प्रदेश।

.... डाकघर. ....
जिला. .... के निवासी .... (आवेदक)।
का आवेदन पत्र।

आवेदक निम्नलिखित रूप में दर्शित करता है कि :—

(1) आवेदक .... का न्यासी/प्राधिकृत अभिकर्ता है।

(2) आवेदक निम्नलिखित सम्पत्ति को ....
(अन्तरण की रीति से) द्वारा अन्तरित करना/पट्टे पर देना चाहता है :-

क्रम	भवन	कोई अन्य सम्पत्ति
1		
2		
3		

(3) उक्त सम्पत्ति से कुल वार्षिक आय ....
रुपये है जिसका ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

1. ....

2. ....

3. ....

(4) आवेदक उक्त सम्पति को .... के (पूरा पता दे)
श्री. .... पुत्र .... को
निम्नलिखित कारणों से अन्तरित करना/पट्टे पर देना चाहता है :

1. ....

2 ....

3 ....

(5) प्रतिफल की रकम .... रुपये है।

(6) यह सम्पति रजिस्टर में दर्शाई गई है/नहीं दर्शाई गई है।
सम्पति की आय वर्ष .... के बजट में दर्शाई गई है/नहीं दर्शाई गई है।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6-(2) के अधीन रखे गए रजिस्टर में सम्पति के लोप के लिए यह कारण है कि ....
....

सम्पत्ति की आय के लोप के लिए यह कारण है कि ....

अत: यह प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12 के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

तारीख

न्यासी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

प्ररूप (घ)

(नियम-13)

धार्मिक संस्था का नाम तथा स्थान . . . . वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट

न्यास का शासकीय लेखा वर्ष

प्राक्कलित प्राप्तियां	रुपये पैसे	प्राक्कलित संवितरण	रुपये पैसे
1		2	
अर्थ शेष:–			
(i) हाथ का रोकड़		1. प्राक्कलित संवितरण	
(ii) बैंक में रोकड़			
2. प्राक्कलित प्राप्तियां (क) अनावर्ती		(क) अनावर्ती :	
(i) संस्था के लिये या पूंजी उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जाने वाले संदान ।		आस्तियों की मुख्य मुरम्मत और पुनर्निर्माण जैसे कि कुओं का निर्माण, नहरें और कृषि भूमि को पहली बार खाद देना आदि ।	
(ii) विनिर्दिष्ट या उद्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जाने वाले साधारण संदान ।		(ii) स्थावर सम्पतियों का नया क्रय, बहुमूल्य वस्तुएं और अन्य जंगम सम्पति आदि के विनिधानों के लिए क्रिय ।	
(iii) साधारण संदान । (ख) आवर्ती:–(i) स्थावर सम्पति पर किराया या पट्टा किराया ।		(iii) बैंक और अन्य कम्पनियों में नियत . . . . कालिक जमा ।	
(ii) डिबैंचरों, प्रतिभाओं, जमा आदि पर ब्याज ।		(ख) आवर्ती	
		(1) किराए, दरें, कर और बीमा	
(iii) शेयर आदि पर लाभांश		(2) प्रशासनिक खर्च	
(iv) कृषि भूमि से आय		(3) कर्मचारी-वृन्द को वेतन और परिलब्धियों का संदाय	
(v) अन्य राजस्व प्राप्तियां			

1			2	3
	रुपये	पैसे	(4) अवक्षयण निधि को अन्तरण ।	रु० पैसे
			(5) भवनों, फर्नीचर या अन्य आस्तियों की विशेष और चालू मरम्मत ।	
...त्तियों के व्ययन से ज्ञापन और जमा आदि ...त संदाय				
(क) शेयरों, प्रतिभूओं आदि का विक्रय ।			2. प्रकीर्ण व्यय जो उक्त मदों म नहीं आते हैं ।	
(ख) जमा, प्रतिभूओं, ऋणों आदि का प्रति-संदाय			3. न्यास के उद्देश्यों पर नए व्यय । (प्रत्येक उद्देश्य का ब्योरा दिया जायेगा	
(ग) आस्तियों का व्ययन			(1)	
(घ) अन्य			(2)	
....			(3)	
....			4. व्ययों पर प्राप्तियों का अधिशेष	
......			(i) नकदी या बैंक में रखा जाने वाला	
			(ii) आरक्षित निधि में अंतरित किया जाने वाला	
			(iii) संस्था में जोड़ा जाने वाला ...	
			(4) अंत शष	
			(i) हाथ का रोकड़	
			(ii) बैंक में रोकड़	
जोड़:-			जोड़ :-	

टिप्पण:—आय और व्यय का ऐसी सम्पत्ति, शेयर, जमा, कर्मचारी-वृन्द और अन्य संकर्म आदि के विवरण सहित जिन से आय प्राप्त की जानी है और जिन पर व्यय उपगत किया जाना है मद के अनुसार ब्योरा संलग्न किया जाना चाहिए जिस से उन आधारों के बारे में स्पष्ट हो सके जिन पर प्राक्कलन तैयार किये गए हैं ।

प्ररूप "ङ"

नियम 14 और अधिनियम की धारा 34 (2) (ज).

आय और व्यय की विवरणी)

.... का मन्दिर. ....

.... को समाप्त होने वाला त्रैमास

अत: यह प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12 के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

तारीख

न्यासी या उसके प्राधिकृत
अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

प्ररूप (घ)

(नियम-13)

धार्मिक संस्था का नाम तथा स्थान . . . . वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट

न्यास का शासकीय लेखा वर्ष

प्राक्कलित प्रतियां 1	प्राक्कलित संवितरण 2
अर्थ शेष:- रुपये पैसे	रुपये पैसे
(i) हाथ का रोकड़	1. प्राक्कलित संवितरण . . . .
(ii) बैंक में रोकड़	
2. प्राक्कलित प्राप्तियां (क) अनावर्ती (i) संस्था के लिये या पूंजी उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जाने वाले संदान ।	(क) अनावर्ती : आस्तियों की मुख्य मुरम्मत और पुनर्निमाण जैसे कि कुओं का निर्माण, नहरें और कृषि भूमि को पहली बार खाद देना आदि ।
(ii) विनिर्दिष्ट या उद्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जाने वाले साधारण संदान ।	(ii) स्थावर सम्पतियों का नया क्रय, बहुमूल्य वस्तुएं और अन्य जंगम सम्पति आदि के विनिधानों के लिए क्रिय ।
(iii) साधारण संदान । (ख) आवर्ती:-(i) स्थावर सम्पति पर किराया या पट्टा किराया ।	(iii) बैंक और अन्य कम्पनियों में नियत . . . . कालिक जमा ।
(ii) डिबैंचरों, प्रतिभाओं, जमा आदि पर ब्याज ।	(ख) आवर्ती . . . . (1) किराए, दरें, कर और बीमा . . . .
(iii) शेयर आदि पर लाभांश	(2) प्रशासनिक खर्च . . . .
(iv) कृषि भूमि से आय	(3) कर्मचारी-वृन्द को वेतन और परिलब्धियों का संदाय . . . . . .
(v) अन्य राजस्व प्राप्तियां	

1			2	3
	रुपये	पैसे	(4) अवक्षयण निधि को अन्तरण।	रु0 पैसे
			(5) भवनों, फर्नीचर या अन्य आस्तियों की विशेष और चालू मरम्मत।	
...स्तियों के व्ययन से ज्ञापन और जमा आदि ...त संदाय				
(क) शेयरों, प्रतिभूओं आदि का विक्रय।			2. प्रकीर्ण व्यय जो उक्त मदों म नहीं आते हैं।	
(ख) जमा, प्रतिभूओं, ऋणों आदि का प्रति-संदाय			3. न्यास के उद्देश्यों पर ए व्यय। (प्रत्येक उद्देश्य का ब्योरा दिया जायेगा	
(ग) आस्तियों का व्ययन			(1)	
(घ) अन्य			(2)	
. . . .			(3)	
. . . .			4. व्ययों पर प्राप्तियों का अधिशेष	
. . . .			(i) नकदी या बैंक में रखा जाने वाला	
			(ii) आरक्षित निधि में अंतरित किया जाने वाला	
			(iii) संस्था में जोड़ा जाने वाला . .	
			(4) अंत शेष	
			(i) हाथ का रोकड़	
			(ii) बैंक में रोकड़	
जोड़:—			जोड़:—	

टिप्पणः—आय और व्यय का ऐसी सम्पत्ति, शेयर, जमा, कर्मचारी-वृन्द और अन्य संकर्म आदि के विवरण सहित जिन से आय प्राप्त की जानी है और जिन पर व्यय उपगत किया जाना है मद के अनुसार ब्योरा संलग्न किया जाना चाहिए जिस से उन आधारों के बारे में स्पष्ट हो सके जिन पर प्राक्कलन तैयार किये गए हैं।

प्ररूप "ङ"

नियम 14 और अधिनियम की धारा 34 (2) (ज)-

आय और व्यय की विवरणी)

. . . . का मन्दिर. . . . .

. . . . को समाप्त होने वाला त्रैमास

आय	रुपये पैसे	व्यय	रु0 प
1. अर्थ शेष:			
(क) नकदी		(क) कर्मचारियों और सेवकों के वेतन.	
(ख) चालू लेखा		(ख) यात्रा भत्ता	
(ग) फसल आदि का मूल्य		(ग) आकस्मिकताएं.	
जोड़		जोड़	
2. भूमि:		2. साधारण दैनिक: पूजा के लिए व्यय.	
(क) फसल की प्राक्कलित मात्रा		3. त्योहारों और धार्मिक क्रियाओं के लिए व्यय.	
(ख) भूमि से अन्य आय.			
भूमि से कुल आय.			
		4. (क) वैयक्तिक खेती और उद्यान कृषि के लिए व्यय.	
		(ख) भूमि सुधार और मुरम्मत के लिए व्यय.	
		(ग) भवनों की मुरम्मत के लिए व्यय.	
		भूमि और भवनों की मुरम्मत के लिए कुल व्यय.	
3. किराया और फीसें			
(क) मन्दिर के परिसरों में स्थित दुकानों से आय.			
जोड़ :–			
4. देवता को चढ़ावे:		5. वाद और मामलों में व्यय	
(क) नकद.			
जोड़.		जोड़.	
5. सरकार से अनुदान और सहायता (यदि कोई हो)		6. (क) न्यासी/कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय	
6. ब्याज और जमा, यदि कोई हो,		(ख) विद्यालयों और पुस्तकालयों पर व्यय	
		(ग) प्रकीर्ण पूर्व व्यय	
जोड़.		जोड़.	
		7. घरेलु पशुओं का अनुरक्षण	
कुल जोड़.		जोड़.	
. . . . का मन्दिर		8. (क) भूमि का क्रय.	
ग्राम/नगर.		(ख) घरेलु पशुओं का क्रय.	
		जोड़.	
तारीख.		कुल जोड़	
		हस्ताक्षर	
		[illegible]	

[*Authoritative English text of Notification No.* 16-15/75-*GAD-Vol. IV dated* 15*th October,* 1984 *is hereby published under Article* 348 (3) *of the Constitution of India for the general information.*]

GENERAL ADMINISTRATION (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15*th October,* 1984

No. 16-15/75-GAD-Vol.IV.—The following draft of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Rules, 1984 which the Governor of Himachal Pradesh proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984) is hereby published as required by the said sub-section (1) for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the State Government after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the State Government in the finalisation of the said rules.

The objection or suggestion, if any, may be addressed to the Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS RULES, 1984

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Rules, 1984.

(2) These extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).
(*b*) "Assistant Commissioner" means the Assistant Commissioner appointed under rule 3.
(*c*) "Depriciation Fund" means a fund to which contributions as approved by the Commssioner are to be made for meeting the expenditure for restoration of assets which are subject to wear and tear.
(*d*) "Reserve fund' means a fund set apart to provide for contingencies as may be approved by the Commissioner.
(*e*) "Section" means a section of the Act; and
(*f*) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meaings respectively assigned to them in the Act.

3. *Conditions of service of officers and staff appointed under section* 3.—The Assistant Commissioner or Assistant Commissioners shall be appointed to assist the Commissioner from amongst officers of the Himachal Pradesh Administrative Service. The ministerial staff will be taken from the offices of the Deputy Commissioners and the audit staff will be taken from the Finance Deputy (Local Audit Department) of Himachal Pradesh Government on such terms and conditions as the State Government may determine.

4. *Form and manner in which the registers are to be maintained under section* 6.—The register shall be maintained in Form 'A'.

5. *Notice under section* 6 (2).—The notice to be issued by the Commissioner under section 6 (2) shall be in Form 'B'.

6. *Scrutiny and verification of the entries in the registers under section* 7.—The verified statement required to be submitted to the Commissioner under section 7 (1) shall be accompained by:—

(*a*) an affidavit of the trustee or his authorised agent to the effect that he has physically checked and verified the items as mentioned in the said document; and

(*b*) a certificate to the effect that all the title deeds and documents of the immovable property as mentioned in the register maintained under section 6 read with rule 5, colour photographs and images of idols, particulars of ancient or historical records, or any other valuable items, are in his custody.

In case of any variation in the contents as shown in the register and at the time of physical verification, the trustee or his authorised agent shall inform the Commissioner of the action taken by him as required under law.

The verification shall start from the 1st of April and will be completed by 30th June every year. During the verification the trustee or his authorised agent shall ensure that all the latest acquistions have been incorporated in the register.

7. *Action required under section* 9 (1) *in case of damage to or encroachment on the immovable property.*—In case of any damage to or encroachment on the immovable property, the trustee or his authorised agent shall take all necessary steps required by law and shall also report the matter to the commissioner.

8. *Application under section* 12 *seeking transfer of land.*—The application seeking permission for transfer of immovable property belonging to, or given or endowed for the purpose of, any Hindu Publice Religious Institution and Charitable Endowment by way of exchange, sale, mortgage or in any other manner whatsoever or for the lease of any such property, shall be in form 'C'.

9. *Manner of the publication of the order of the Commissioner under section* 12 (3).—A copy of the order issued by the Commissioner under section 12 (3) shall be sent to the trustee concerned and the proposed alienees by reisgtered post. It shall be also published by :—

(*a*) affixture of the copy of the order on the notice board or on the front door of the religious institution concerned,

(*b*) affixture of the copy of the order in a conspicuous place of the village or town where the property is situated. In case there is a Panchayat-ghar, the requirements of the rule will be met by affixture of the copy of the order on the Panchayat-ghar, and

(*c*) affixture of the copy of the order on the property in question and where the said property is land, *them by proclamation* of the order by beat of drum.

10. *Manner in which the enquiry is to be conducted under section* 14 (2).—The Financial Commissioner shall give a reasonable oppertunity to the trustee and the proposed alienee. He shall afford the parties opportunity to adduce evidence and make an order after hearing them. The Financial Commissioner shall not be bound to follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure and Indian Evidence Act. A copy of every order of the Financial Commissioner shall be published in the official gazette.

11. *Appellate Authority under section* 19 (2).—The Financial Commissioner shall be the appellate authority under section 19 (2) of the Act.

12. *Manner in which appeal is to be preferred under section* 19 (2).—Every appeal to the Financial Commissioner against the order of the Commissioner under section 19 (1) shall be preferred in the form of a memorandum signed by the appellant or his pleader. The momorandum shall set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of objections to the order appealed and such grounds shall be numbered consecutively. Such appeal shall be sent to the Financial Commissioner either by registered post or presented in person or by a pleader and shall be accompained by:—

(*a*) Certified copy of the orders appealed from; and

(*b*) as many copies of the memorandum of appeal as are required for service upon the parties whose rights or interest shall be affected by any order that may be passed in such appeals.

13. *Form of budget to be prepared under section* 22.—The budget to be prepared in form 'D'.

14. *Return of income and expenditure under section* 34 (2) (*h*).—The return of income and expenditure shall be filled by the trustee in form 'E' every quarter to the Commissioner.

15. *Repairs of temple buildings under section* 34 (2)(1).—In all cases where the temple building is more than 100 years old, the repair will be effected in consultation with the Department of Language and Culture, Himachal Pradesh Government. It shall be the duty of the trustee or the pujari of any Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment to spend the allocated amount in the budget approved by the Commissioner on the repairs and renovation of the building and preservation and protection of the property and assets of the Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment.

16. *Preservation and security of idols and images under section* 34 (2) (*k*).—It shall be the duty of the trustee or Pujari of any Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowment to take all necessary measures as directed by the Commissioner from time to time, for the preservation and security of idols and images in temples.

By order,
P. K. MATTOO,
Addl. Chief Secretary.

FORM "A"

(*Rule* 4)

(Particulars at close of financial year)

PART—A

Origin and history of the Institution	Name of post and present trustees	Particulars as to the information of usage and customs if any, regarding succession to the office of the trustee	Customs and usage regarding following: (*i*) Management of the institution. (*ii*) Tenure of the trustee/manager. (*iii*) The powers & procedure regarding election/selection/nomination of the Baridars. (*iv*) The share of the Baridars.
1	2	3	4

Notes.—(1) While filling up this form, the trustee shall invariably refer to the source from which the information has been obtained.

(2) This register should be in six parts.

FORM 'A'

PART—B

Total estimated income for the proceeding ten years (year-wise)

1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84

PART—C

SEALE OF EXPENDITURE YEAR-WISE

Expenditure on performance of Puja and other rituals relating to worship of deity for the last three years (year-wise).	Annual recurring expenditure for the last three years (year-wise) relating to maintenance of the educational institutions (information in respect of each institution is to be given separately)	Annual expenditure for the last three years relating to medical institutions (information in respect of each institution may be given separately).	Annual expenditure on training of Vidyarathis (indicate total annual expenditure for the last three years (year-wise)
1	2	3	4

Expenditure on Dharamshala and Sarais for the last three years (year-wise) (please indicate expenditure in respect of each Dharamsahala or sarais separately).	Expenditure for the last 3 years (year-wise) on repair and renovation of buildings (other than Dharmshalas, educational institutions).	Recurring expenditure for the last three years (year-wise) on any other institutions run or activity undertaken
5	6	7

PART—D

Names of the Employees and the Nature of Service

Name & designation of the employee of the institution with parentage	Nature of Service: (It may be specified whether the employment is part time, or full time hereditary of non-hereditary)	Salary	Perquisites	Total Emoluments
1	2	3	4	5

PART—E
Moveable Property

(C) FUNDS

Cash in hand	Deposits							
	Current/Saving Accounts in Banks/Post Offices/Other Institutions			Long term Deposits in Banks/ Post Offices/Other Institutions				
	Inst.	Acctt. & Type	No.	Amount	Inst.	Acctts. & type	No.	Period of deposit	Amount

(D) OTHER MOVABLE PROPERTY

r. No.	Item	Description	Quantity in		Constituent elements with proportions	Estimated present value
			No.	Weight		
1.	Jewellery					
2.	Gold					
3.	Silver					
4.	Jewels/precious stones					
5.	Vessels					
6.	Utensils					
7.	Other moveable property not specified above					

PART—F

Agricultural Land:

Name of Village/ town where the immovable property is situated	Khatauni/Khasra No.	Area	LR/Rent	Approximate value as per sale deeds or other documents	Annual income from each property (Please paste a copy of the latest jamabandi cetificate/ copy of sale deed/ gift deed).
1	2			3	4

Building and Shops:
Particulars of the buililding/shop.
Location.
Khasra No.
Description of the building.
Name of the building.
Plinth area of the building.
Estimated value of the building
Annual income from the building.

Any other property with Full particulars.

Details of title Deed and Documents

PART—G

Name of the Idol.	Constituent elements of the Idol.	Details of Images or paintings etc.

Note —The coloured photograps of Idols and images should be kept in an Album which will form a part of the register.

4. Particulars of ancient or historical records with their contents in brief.

FORM "B"

(*Rule* 5)

OFFICE OF THE COMMISSIONER.......... HIMACHAL PRADESH

No............... Dated...............

NOTICE UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 6 OF THE ACT

Whereas the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 has come into force.

Whereas the aforesaid Act applies to your Institutions namely......................

And whereas under section 6 (*i*) of Himachal Pradesh Hindu Public Religions Institutions and Charitable Endowment Act, 1984, you are required to prepare and maintain a register as prescribed under Rule 4.

Now in exercise of the powers conferred upon me under section 6 (2) of Himachal Pradesh Hindu Plblic Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1984, I hereby serve notice on Shri................s/o................,trustee/ authorised agent of the trustee, to submit the register, in duplicate, maintained by him under the aforesaid provision of the Act, to the undersigned within 3 months from the date of this notice. The register should be complete in all respects, duly signed by the trustee or his authorised agent.

Commissioner,
(*with his stamp affixed*).

To

....

....

FORM 'C'

(*Rule*-8)

FORM OF APPLICATION SEEKING PERMISSION FOR TRANSFER/LEASE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER SECTION 12 OF THE ACT

To
The Commissioner,
............Division,
............Himachal Pradesh.

Application of............resident of............Post Office.........district........
The applicant showeth as follows:

(1) That the applicant is the trustee/ authorised agent of the.......................
(2) That the applicant wants to transfer/lease the following property by............ (give the made of transfer).

Agricultural land	Bulidings	Any other Property
1............	....	....
2............	....	....
3............	....	....

(3) That the gross annual income from the above said property comes to Rs. .... thedetails of which are given below:—

1. ....
2. ....
3. ....

(4) That the applicant wants to transfer/lease the said property to Shri........ ....s/o........belonging to............(full address) for the following reasons:—

1. ....
2. ....
3. ....

(5) That the amount of consideration is..............
(6) That this property has/has not been reflected in the register. The income of the property has been/has not been reflected in budget for the year...........................

The reasons for ommission of property in the register maintained under section 6 (2) of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Edowments Act, 1984 is that..................................

The reason for omission of the income of the property is that.............

It is, therefore, requested that permission under section 12 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 may please be accorded.

Signature of trustee or his authorised agent.

DATE:

FORM "D"

(*Rule* 13)

NAME AND LOCATION OF THE RELIGIOUS INSTITUTION....................................

MANUAL BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR....................................

ESTIMATED RECEIPTS	RS. P.	ESTIMATED DISBURSEMENT	RS. P.
I. Opening Balance:		I. Estimated Disbursement—	
(*i*) Cash in hand	..	(*a*) Non-recurring—	
(*ii*) Cash at Bank	..	(*i*) Major repairs and rebuilding of the Assets, such as building, wells, canals, first manuring of agricultural lands, etc.	—
II. Estimated Receipts—		(*ii*) New purchase of immovable properties, scrips for investments valuables and other movables, etc.	
(*a*) Non-recurring—			
(*i*) Donations to be received towards Corpus or for capital objects.	..		
(*ii*) Ordinary donations to be received for specific or earmarked objects(s).		(*iii*) Fixed Doposits with Banks and other Companies.	
(*iii*) Ordinary Donations			
(*b*) Recurring—		(*b*) Recurring—	
(*i*) Rents, lease rents on immovable property	..	(*i*) Rents, Rates, Taxes and Insurance	
(*ii*) Interest on debentures, securities, deposits, etc.	..	(*ii*) Administration expenses	
(*iii*) Dividends on shares, etc.	..	(*iii*) Payment of salaries and requisities to the staff	
(*iv*) Income from agricultural lands	..	(*iv*) Transfer to Depreciation Fund—	
(*v*) Other revenue receipts	..	(*v*) Special and current Repairs to Building, Furniture or other assets	..
		II. Miscellaneous expenses not covered by the items above.	
III. Realisation from disposal of assets, repayment of deposits, etc.		III. Expenses on the objects of the trust. (Details to be given for each object)—	
(*a*) Sale of shares, securities etc.	..	(1)	
(*b*) Repayment of deposits, securities, loans, etc.		(2)	
(*c*) Dispoal of assets	..	(3)	
(*d*) Others	..		

		IV. Surplus of receipts over expenditure	
		(i) To be retained in cash for bank ..	
		(ii) To be transferred to Reserve fund	
		(iii) To be added to corpus	
		(iv) Closing Balance	
		(i) Cash in Hand Rs ..	
		(ii) Cash at Bank Rs ..	
Total ..		Total	

Note.—The item-wise details of income and expenditure with description of property, shares, deposits, staff and works etc., from which income is to be derived and on which expenditure is to be incurred should be attached so that it is clear as to the basis on which the estimated have been prepared.

FORM "E"

RETURN OF INCOME AND EXPENDITURE

[*Under Rule* 14 *and section* 34(2) (*h*) *of The Act*]

TEMPLE OF..

Quarter ending........................

INCOME	Rs. P.	EXPENDITURE	Rs. P.
1. Opening Balance—		1. (*a*) Pay of employees and servants	
(*a*) Cash		(*b*) Travelling allowance ..	..
(*b*) Current account		(*c*) Contingencies ...	...
(*c*) Price of Crop, etc.			
TOTAL ..		TOTAL ..	
		2. Expenditure for general daily worship ..	
		3. Expenditure for festivals and ceremonies	
2. Land:		4. (*a*) Expenditure for personal cultivation and horticulture.	
(*a*) Estimated quantity of crop.			
(*b*) Other income from land		(*b*) Expenditure for improvement and repair of lands.	
		(*c*) Expenditure for repair of buildings	
Total income from land		Total expenditure for repair of land and buildings ..	

INCOME	Rs.	P.
3. Rents & fees—		
(a) Income from shops situated within the premises of the temple ..		
TOTAL ..		
4. Offerings to diety—		
(a) Cash		
TOTAL ..		
5. Grants and Aids from Government (if any)		
6. Interest on deposits, if any ..		
Total ..		
Grand Total ..		

EXPENDITURE	Rs.	P.
5. Expenditlre towards suits and cases		
TOTAL ..		
6. (a) Medical expenditure on trustee/employee		
(b) Expenditure on Schools and libraries ..		
(c) Miscellaneous charitable expenses ..		
Total ..		
7. Maintenance of domestic animals		
TOTAL ..		
8. (a) Purchase of lands		
(b) Purchase of domestic animals		
TOATL ..		
Grand Total ..		

Temple of....................
Village/Town ....
Date ....

Signature....................
Name of trustee/Pujari.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।